54/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने पेश किया गया, जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 196/2021 जो दिनांक 30.11.2022 को स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित की जा चुकी है। इस कारण हस्तगत अपील सारहीन होने से अपीलांट उक्त अपील को विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील को जरिये विड्रो खारिज फरमाया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील जरिये विड्रो खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 196/2021 जो दिनांक 30.11.2022 को स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित की जा चुकी है। लिहाजा अपीलांट द्वारा अपील जरिये विड्रो खारिज करवाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट के अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर